भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-521
25 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

राज्यों में अलग-अलग बिजली बिल

521. श्री के. ई. प्रकाश:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत मंत्रालय का एक समान बिजली बिल पूरे देश में लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या पहल की गई है और इसके कार्यान्वयन के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग बिजली बिल के संबंध में क्या पहल की गई है/की जा रही है जिससे उद्योग और व्यापार प्रभावित होगा?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार राज्य विद्युत विनियामक आयोग अंतिम उपभोक्ताओं को विद्युत की खुदरा बिक्री के लिए विद्युत शुल्क निर्धारित करता है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 एवं टैरिफ नीति में टैरिफ निर्धारण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए हैं।

वर्तमान में, पूरे देश में एक समान विद्युत शुल्क लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हांलाकि, सरकार पावर एक्सचेंज के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रही है। दिन के विशेष टाईम ब्लॉक के लिए पावर एक्सचेंज पर एक समान टैरिफ का निर्धारण होता है। तदनुसार, पावर एक्सचेंज से वितरण यूटिलिटीज द्वारा खरीदी गई विद्युत की कीमत इस सीमा तक एक समान रहती है, बशर्ते कि बाजार में विभाजन न हो।

****